

प्रेस नोट दिनांक 27.10.2020

1. दिनांक 26.10.20 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार राय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश निषाद पुत्र सुरेश नि0 हाजीपुर सिंहपुर थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 2200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 507/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 26.10.20 को वादी उ0नि0 श्री राम प्रकाश मिश्रा थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बबलू पुत्र लालता प्रसाद नि0 ब्लाक नं0 54, कमरा नं0 863 कांशीराम कालोनी थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 770/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 26.10.20 को वादी उ0नि0 श्री शमशेर अहमद थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिपिन पुत्र राम शंकर नि0 अरथर थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 599/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 26.10.20 को वादी उ0नि0 श्री शमशेर अहमद थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप पुत्र राम गनेश नि0 अरथर थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 600/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 26.10.20 को वादी का0 अंकित पाण्डेय थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विश्वकर्मा पुत्र मुन्नीलाल नि0 समंथा थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 475/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 26.10.20 को वादी का0 अंकित पाण्डेय थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गनेश पुत्र भोलानाथ नि0 भीटी तिराहा थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 476/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 26.10.20 को वादी श्री जगई प्रसाद वर्मा पुत्र स्व0 नोहरी नि0 दतौली थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के छोटे भाई जियालाल को टक्कर मार देना जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 457/20 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 26.10.20 को वादी श्री अशोक कुमार थानाध्यक्ष महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1 आदित्य सिंह पुत्र अशोक सिंह नि0 कनकपुर थाना महाराजगंज अयोध्या 2. पुलकित सिंह उर्फ नितेश सिंह पुत्र अरविन्द सिंह नि0 जजवट थाना महाराजगंज अयोध्या 3. योगेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ शालू पुत्र सत्य प्रकाश सिंह नि0 कनकपुर थाना महाराजगंज अयोध्या 4. करन सिंह उर्फ दिग्विजय पुत्र रणविजय सिंह नि0 दलपतपुर थाना महाराजगंज अयोध्या 5 भीम सिंह पुत्र कृष्ण कुमार सिंह नि0 अमहटा थाना को0रुदौली अयोध्या सभी जेल में अभि0गण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने साथियों के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 458/20 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 26.10.20 को वादी श्री सुभाषचन्द्र पाण्डेय क्षेत्र कोटडीह सरैया लेखपाल तहसील सोहावल अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्रीधर पुत्र छोटेलाल नि0 बिसौली सारंगापुर थाना रौनाही अयोध्या अभि0 द्वारा शासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए स्वयं के खेत में धान की फसल के अवशेष को जला देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 505/20 धारा 188, 278, 291 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 26.10.20 को वादी श्री सुभाषचन्द्र पाण्डेय क्षेत्र कोटडीह सरैया लेखपाल तहसील सोहावल अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय कुमार पुत्र किशुन नि० मुस्तफाबाद थाना रौनाही अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा शासन के आदेशो का उल्लंघन करते हुए स्वयं के खेत में धान की फसल के अवशेष को जला देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 507/20 धारा 188, 279, 291 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 26.10.20 को वादी उ०नि० श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुलतान पुत्र समशुल हक नि० मुबारकगंज थाना रौनाही अयोध्या आदि 04 नफर **सभी गिर०** अभि०गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्ते के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना व पकड़े जाना, मौके से मालफड़ व जामा तालाशी के 1820 रूपये व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 509/20 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 26.10.20 को वादी उ०नि० श्री वीरेन्द्र कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नूरे पुत्र साहब चौहान नि० पूरे शुक्ल गोयड़ी थाना कुमारगंज अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 465/20 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 26.10.20 को वादी उ०नि० श्री वीरेन्द्र कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रोहित पुत्र राम केवल नि० पूरे शुक्ल गोयड़ी थाना कुमारगंज अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 466/20 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।